न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री शीमा मीना आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या:—03 / 47 / 2024 ऑनलाईन नम्बर:—2024 / 247 प्रवेश तिथि:—02.04.2024

1. पटवारी हल्का नयागाव बोलका जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. इन्द्र कुमार पुत्र रामकिशोर, ललता देवी पत्नी रामकिशोर जाति महाजन निवासीयान ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित— तहसीलदार राजगढ—प्रार्थी

—:निर्णय:—

दिनांक 10 / 02 / 2026

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल खसरा संख्या 568 / 962 / 0.05 है0 वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर प्लाटिंग बनाकर जमीन को खर्दु—बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 02.04.2024 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी से के अवैध रूप से प्लाटिंग करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। तहसीलदार राजगढ को पटवारी हल्का से दिनांक 09.11.2023 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी खसरा संख्या 568 / 962 / 0.05 है0 वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील राजगढ पर अवैध प्लाटिंग कर व्यवसायिक / अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद सुचना तामिल उपस्थित नही आने की स्थिति में उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

3. पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक पटवारी हल्का नयागाँव बौलका की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2026 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 568 / 1962 रकबा 0.05 वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर आज दिनांक 09.02.2026 तक मौके पर खाली पडत पडा हुआ है।

4. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2026 से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा संख्या 568 / 962 / 0.05 है0 वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील राजगढ दिनांक 09.02.2026 तक मौके पर खाली पडत है। जिससे प्रतीत होता है कि मौके पर किसी भी प्रकार की कोई प्लाटिंग नही की गई है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि नही हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अन्तर्गत धारा 177 से प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 568 / 962 / 0.05 है0 वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर मौके पर खाली होने के कारण अस्वीकार / खारीज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।
यह आदेश आज दिनांक 10 / 02 / 2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर